ए.

महादेव और ओआरएस।

बनाम

एसएमटी। सोवन देवी और ओआरएस। (2022 की सिविल अपील संख्या 5876) 30 अगस्त, 2022

बी.

[हेमंत गुप्ता और विक्रम नाथ**,** जे**.** जे**.]**

राजस्थान विकलांग पूर्व सैनिकों और मृत रक्षा कर्मियों के आश्रितों को विशेष सहायता (भूमि का आवंटन) नियम, 1963-अंतर-विभागीय संचार के आधार पर दावा किया गया अधिकार-की अनिवार्यता-रिट याची का दावा कि आवंटित भूमि का कब्जा उसके पति (विकलांग पूर्व सैनिक-मृतक के बाद से) या उसे नहीं सौंपा गया था, जिसे उच्च न्यायालय ने अनुमति दी थी-अपील पर कहा गया:रिट याची के दावे का आधार सैनिक कल्याण विभाग के सचिव द्वारा जिला कलेक्टर, उदयपुर को भूमि के आवंटन के लिए 19.03.71 पर लिखा गया एक पत्र है-अंतर-विभागीय संचार उचित निर्णय के लिए विचार की प्रक्रिया में हैं और किसी भी अधिकार का दावा करने के लिए आधार के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है-इस प्रकार, अंतर-विभागीय संचार दिनांकित है।19.03.71 इसे आवंटन पत्र नहीं माना जा सकता-इसके अलावा, रिट याची के पति की मृत्यु 17.07.98 पर हुई-उन्होंने अपने जीवनकाल के दौरान तथाकथित आवंटन पत्र के बाद लगभग 27 वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं की थी-रिट याची को एनसीसी के महानिदेशक के कार्यालय में नियुक्त किया गया था और उसके बाद, कब्जे की प्रक्रिया उनके द्वारा शुरू की गई थी-फिर भी, अदालत द्वारा समय-समय पर राज्य के अधिकारियों को अदालत में बुलाए जाने वाले अंतरिम आदेशों के बल पर रिट याची को वैकल्पिक भूमि आवंटित की गई थी-जिस तरीके से मामले को उच्च न्यायालय द्वारा विकलांग पूर्व सैनिक की मदद की आड़ में अपास्त करना गया है, वह अनुचित है-रिट याची द्वारा दायर लिखित याचिका गलत धारणा है, शरारतपूर्ण है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** ऐसा प्रतीत होता है कि विकलांग पूर्व सैनिक **(**रिट याचिकाकर्ता के पति**)** ने विकलांग युद्ध कर्मियों की श्रेणी में भूमि के आवंटन के लिए आवेदन किया था।सैनिक कल्याण

एच.

153 ए.

राज्य के राजस्व विभाग के अनुभाग ने जिला कलेक्टर, उदयपुर को **19.3.1971** पर एक पत्र भेजा, जिसमें बताया गया कि ग्राम रोहिखेड़ा, तहसील वल्लभनगर में **25** बीघा जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें खसरा संख्या **133,135** और **137** शामिल हैं।उक्त संचार के अनुसरण में अभिलेख पर रिट याची के पति या रिट याची को भूमि आवंटन का कोई पत्र जारी नहीं किया गया है।उक्त पत्र अंतर-विभागीय संचार है और विकलांग सैनिक के लिए संचार नहीं है।**[**पैरा **4,5] [157-**ए-बी, जी-एच**]**

बी.

1.2 एकल न्यायाधीश ने पाया कि रिट याची को दी गई वैकल्पिक भूमि बहुत दूर/दूर के क्षेत्र में स्थित है और खेती योग्य नहीं है और इसलिए, मूल रूप से रिट याची को आवंटित भूमि पर कब्जा करने का निर्देश जारी किया गया था।राज्य द्वारा की गई एक अंतर-अदालत अपील असफल रही।यह रिकॉर्ड में आया है कि विचाराधीन भूमि रिट याची को आवंटित की गई थी। जिन आबंटियों को रिपोर्ट में उल्लिखित भूमि आवंटित की गई थी, उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है, जब अपीलार्थियों को कथित रूप से **60** वर्षों से अधिक समय से खेती की गई उक्त भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया गया था।अपीलार्थियों को पहली बार उच्च न्यायालय द्वारा **27.09.2021** पर पारित आदेश के बारे में तब पता चला जब उन्होंने वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, वल्लभनगर के न्यायालय के समक्ष एक दीवानी मुकदमा दायर किया।चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा रिट याची को भूमि आवंटित करने का आदेश पारित किया गया था, इसलिए अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।उच्च न्यायालय ने भूमि पर कब्जा करने का आदेश दिया था, जिसे रिट याची के पक्ष में आवंटन पत्र के साथ कभी आगे नहीं बढ़ाया गया था।उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है।अंतर-विभागीय संचार उचित निर्णय के लिए विचार की प्रक्रिया में हैं और किसी भी अधिकार का दावा करने के आधार के रूप में उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।**[**पारस **10-14] [160-E; 161-G-H; 162-A-C]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

ओमकार सिन्हा बनाम सहादत खान **2022** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 601;** रिलायंस को बचित्तर सिंह बनाम राज्य पर रखा गया था।

जी.

पंजाब एयर 1963 एस. सी. 395:[1962] पूरक।एससीआर 713;

के**.** एस**.** बी**.** अली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य **(2018) 11** एससीसी **277:[2017] 12** एससीआर **698;** डायना टेक्नोलॉजीज प्रा**.** लि**.**

एच.

155

महादेओ और ओ. आर. एस. बनामएसएमटी। सोवन देवी और ओआरएस।

ए.

बनाम क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड **(2019) 20** एस**.** सी**.** सी**. 1;** नगरपालिका समिति बनाम जय नारायण एंड कंपनी **2022** एस**.** सी**.** सी**.**

ऑनलाइन एससी **376-**पर भरोसा किया गया।

1.3 रिट याची के दावे का आधार सैनिक कल्याण विभाग के सचिव द्वारा भूमि के आवंटन के लिए **19.03.1971** पर जिला कलेक्टर**,** उदयपुर को लिखा गया एक पत्र है।नियमों में विचार किया गया है कि यदि **6** महीने के भीतर कब्जा नहीं लिया जाता है**,** तो आवंटन को रद्द कर दिया गया माना जाएगा।सबसे पहले**, 19.03.1971** दिनांकित अंतर**-**विभागीय संचार को आवंटन पत्र नहीं माना जा सकता है।वैकल्पिक रूप से**,** भले ही इसे आवंटन पत्र माना जाए**,** रिट याची विकलांग पूर्व सैनिकों को भूमि के आवंटन के लिए लागू नियमों के संदर्भ में **30** साल से अधिक समय के बाद इस तरह के संचार के आधार पर कब्जे का दावा नहीं कर सकता था।विकलांग पूर्व सैनिक की मृत्यु **17.07.1998** पर हुई।उन्होंने अपने जीवनकाल में तथाकथित आवंटन पत्र के बाद लगभग **27** वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं की थी।ऐसा प्रतीत होता है कि रिट याची को एन**.** सी**.** सी**.** के महानिदेशक के कार्यालय में नियुक्त किया गया था और उसके बाद**,** उसके द्वारा कब्जे की प्रक्रिया शुरू की गई थी।इसके अलावा**,** न्यायालय द्वारा समय**-**समय पर न्यायालय में राज्य के अधिकारियों को बुलाए जाने वाले अंतरिम आदेशों के बल पर रिट याची को वैकल्पिक भूमि आवंटित की गई थी।कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा ली गई एक अतिरिक्त रुचि को दर्शाती है**,** न कि केवल भूमि के आवंटन के संबंध में**,** बल्कि उस भूमि के संबंध में भी जो कभी आवंटित की गई थी और अब राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब है।जिस

तरह से उच्च न्यायालय द्वारा विकलांग पूर्व सैनिक की मदद की आड़ में मामले से निपटा गया है, वह पूरी तरह से अनुचित है।इसलिए, रिट याची द्वारा दायर रिट याचिका पूरी तरह से गलत है, संपार्श्विक उद्देश्यों के साथ शरारतपूर्ण है और अधिकारियों/अधिकारियों का संरक्षण हो सकता है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करना दिया जाता है।**[**पारस **16-19] [165-**बी**-**जी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

संदर्भित निर्णय

[1962] पूरक।एससीआर **713**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **14**

[2017] 12 एससीआर **698**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **14**

एच.

ए.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील संख्या 5876।

2019 की डी. बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 1372 में जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 19.04.2021 से।

बी.

अभिजीत चटर्जी, सुश्री श्वेता सैंड, पवन के. शर्मा, विनोद के. सोनी, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

गजेंद्र सिंह राठौर, श्रवण कुमार वर्मा, संगीत सिंह, उदिता सिंह, राहुल कुमार, सुश्री कविता भद्रा, सुश्री प्रगति नीखरा, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

1. वर्तमान अपील में चुनौती राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा पारित 19.04.2021 के एक फैसले को दी गई है, जिसमें 13.11.2018 पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया था।2. भारतीय सेना में सिपाही के रूप में सेवा करते हुए श्री भेरू लाल को 1965 के भारत-पाक युद्ध में खदान विस्फोट के कारण दाहिने पैर में चोट लगी थी, जिसके कारण उनका दाहिना पैर काट दिया गया था।इसके बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

डी.

3. राज्य ने विकलांग पूर्व सैनिकों और मृत रक्षा कार्मिक (भूमि आवंटन) के आश्रितों के लिए राजस्थान विशेष सहायता नियम, 1963 तैयार किया है।श्री भेरू उक्त नियमों के नियम 2 (ए) के अर्थ में एक विकलांग पूर्व सैनिक थे।नियम 6 में 25 बीघा सिंचित या 50 बीघा असिंचित भूमि के आवंटन पर विचार किया गया है।नियम 3 में विचार किया गया कि ये नियम केवल भाखड़ा, चंबल या राजस्थान नहर परियोजना कालोनियों के भीतर आने वाली सरकारी भूमि पर लागू होंगे और विकलांग पूर्व सैनिकों को आवंटन के लिए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पहले से ही आरक्षित या आरक्षित होंगी।इसके अलावा, नियम 7 ने आवंटन के नियमों और शर्तों पर विचार किया।उप नियम 4 को नियम 7 में 16.02.1967 पर डाला गया था जो इस प्रकार हैः

ई.

एफ.

जी.

"4. यदि आबंटित व्यक्ति आबंटन की तारीख से छह महीने के भीतर उसे आबंटित भूमि का कब्जा लेने में विफल रहता है, तो आबंटन रद्द कर दिया गया माना जाएगा और इसके बाद भूमि इन नियमों के तहत किसी अन्य व्यक्ति को पुनः आबंटन के लिए उपलब्ध होगी।"

1 संक्षेप में, 'नियम' ए

एच.

महादेओ और ओ. आर. एस. बनाम.एसएमटी। सोवन देवी और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

4. ऐसा प्रतीत होता है कि श्री भेरू लाल ने विकलांग युद्ध कर्मियों की श्रेणी में भूमि के आवंटन के लिए आवेदन किया था।राज्य के राजस्व विभाग के सैनिक कल्याण अनुभाग ने जिला कलेक्टर, उदयपुर को 19.3.1971 पर एक पत्र भेजा, जिसमें बताया गया कि ग्राम रोहिखेड़ा, तहसील वल्लभनगर में 25 बीघा जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें खसरा संख्या 133,135 और 137 शामिल हैं।पत्र इस प्रकार हैः

बी.

“राजस्थान सरकार

राजस्व (जी) विभाग

जिला कलेक्टर

उदयपुर नं.राज का पत्र सं. 77, एफ-9 (15)। दिनांकित।मार्च, 1971 सैनिक कल्याण अधिकारी,

सी.

जिला सैनिक बोर्ड का कार्यालय,

उप-स्थायी रूप से विकलांग सैनिक श्री को भूमि और अधिकार का आवंटन। भारो लाल पुत्र गोविंदा भोनी, निवासी भयों की पंचोली, तहसील गिरवा, बल्लभगढ़।

डी.

संदर्भःपत्र सं। F12 (2) 22/70

साहब,

सिफारिशों और निर्देशों के आधार पर, परिपत्र सं. डी. एस. राव। एल. आर. एस. एस. रीड डेट 30.09.65, रोही खेड़ा तहसील बल्लभगढ़ नगर में स्थित भूमि में से खसरा संख्या 133,135,137 भूमि 25 बीघा गैर-सिंचित भूमि स्थायी रूप से विकलांग सैनिक श्री को आवंटित की गई है। भारो लाल पुत्र गोविंदा भोनी, निवासी भयों की पंचोली, तहसील गिरवा, बल्लभगढ़।

ई.

एफ.

सम्मान के साथ

एसडी/-

एस. के. भट

अनुभाग अधिकारी

शेखावत

19.03.71"

जी.

5. उपरोक्त संचार के अनुसरण में अभिलेख पर रिट याची के पति या रिट याची को भूमि आवंटन का कोई पत्र जारी नहीं किया गया है।उपरोक्त पत्र अंतर-विभागीय संचार है न कि विकलांग सैनिक के लिए।वास्तव में, सरकार के राजस्व सचिव से एक हलफनामा मांगा गया था

एच.

158

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 11 एस सी आर।

राजस्थान सरकार और दिनांक 06.05.2022 के इस तरह के हलफनामे में, यह निम्नानुसार कहा गया थाः

“23. मैं आगे कहता हूं कि 19.03.1971 दिनांकित मंजूरी पत्र की मूल प्रति प्रत्यर्थी राज्य के अभिलेख कक्ष के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।”

बी.

6. श्री भेरू लाल का निधन 17.07.1998 पर हुआ।पत्नी, सोवन देवी 2 ने अपने पति की संपत्ति का स्थान लिया।ऐसा प्रतीत होता है कि वह एन. सी. सी. के महानिदेशक के मुख्यालय में काम कर रही हैं। रिट याची ने डी. जी. एन. सी. सी. के मुख्यालय में 12.01.2010 पर काम करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि भूमि का कब्जा न तो उसके पति को सौंपा गया है और न ही उसे।रिट याची ने निम्नलिखित प्रभाव से कहाः

सी.

“को,

सचिव

जिला-एसएस एंड ए बोर्ड

उदयपुर

डी.

राजस्थान

सबःविघटित सैनिक के लिए भूमि का आवंटन पिछले साल सेप भेरू लाल एस/ओ सरकार बॉमोली

साहब,

ई.

मुझे यह अनुरोध करने का सम्मान प्राप्त है कि मैं श्रीमती। सोवन देवी पूर्व सितंबर भेर्यू लाल निवासी गाँव-बोयाकी पचौली, जिला-उदयपुर, राजस्थान।

उदयपुर के राजस्व विभाग के सैनिक कल्याण विभाग ने रोही-का-खेरा गांव में मेरे पति को 25 बीघा जमीन आवंटित की थी।खसरा नं. 133,134 और 135 का बट्लगर राजस्व विभाग के माध्यम से।पत्र सं। एफ 12 (2) 22/70 दिनांकित 07-04-1970 लेकिन न तो मेरे पति (जब वे जीवित थे) और न ही मुझे आज तक भूमि का अधिकार मिला है।

एफ.

हाल ही में जब मैंने उस जगह का दौरा किया और जमीन के बारे में पूछताछ की, तो मैंने पाया कि इसे अलग-अलग स्थानों के अलग-अलग लोगों को बेचा गया था और वे तहसील में भी पंजीकृत हो गए थे।मैं इलाके के पटवारियों से मिला और उन्हें अपना कागज दिखाया, उन्होंने मुझे अलग-अलग लोगों को बेची गई जमीन का रिकॉर्ड दिखाया और मुझे अलग-अलग लोगों के 'इंटकल' की एक प्रति दी।

जी.

2 संक्षेप में, 'रिट याचिकाकर्ता' ए

एच.

159

महादेओ और ओ. आर. एस. बनाम.एसएमटी। सोवन देवी और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]
ए.

अब, आपके अभिलेख के माध्यम से, मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले को राजस्व विभाग, उदयपुर के साथ उठाया जाए ताकि मुझे उस भूमि पर कब्जा करने में मदद मिल सके जो एक

विधवा और गरीब महिला है।इस दयालुतापूर्ण कार्य के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा और अपने पूरे जीवन में आपका बहुत आभारी रहूंगा।

बी.

आपकी ईमानदारी से,

(सोवन देवी)

मुख्यालय डीजीएनसीसी

एमएस (बी)

सी.

डब्ल्यू. बी.-IV, आर. के. पुरम

नई दिल्ली-110066

12 जनवरी 2010 "7. इस तरह के पत्र के आधार पर, तहसीलदार की रिपोर्ट की टिप्पणियां जिला कलेक्टर द्वारा 11.06.2010 पर पूछी गई थीं।तहसीलदार ने बताया कि 20 व्यक्तियों को 125 बीघा जमीन आवंटित की गई है जैसा कि उक्त संचार में उल्लेख किया गया है।यह भी बताया गया कि 31 बीघा 11 बिस्वास की शेष भूमि खाली है जो नदी (तालाब) में है, यानी वह भूमि जो हमेशा पानी से भरी रहती है।जिला कलेक्टर ने उप-मंडल अधिकारी को 07.01.2011 पर सूचित किया कि भूमि रिट याची के पति के नाम पर पंजीकृत नहीं की गई है, न ही ऐसा मामला उप-मंडल और तहसील के स्तर पर पाया गया है।यह प्रस्ताव किया गया था कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भूमि अलग-अलग व्यक्तियों को आवंटित की गई थी, इस मामले को सतर्कता उप-मंडल स्तर की समिति में रखा जाए।रिट याची ने 27.06.2011 पर सूचित किया कि अगर उसे वैकल्पिक भूमि आवंटित की जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।रिट याची को भूमि के आवंटन के सवाल पर चर्चा करते हुए राजस्व सचिव द्वारा दायर हलफनामे में बाद के संचार हैं।यह 04.06.2012 पर था कि जिला कलेक्टर ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को सूचित किया कि पंचोली, तहसील गिरवा, जिला उदयपुर में रिट याची को भूमि के आवंटन का प्रश्न विचाराधीन है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

8. इस प्रकार रिट याची ने 2013 की रिट याचिका संख्या 4513 दायर की जिसमें शिकायत की गई कि 19.3.1971 पर आवंटित भूमि का कब्जा उसके पति या उसे नहीं सौंपा गया है। उन्होंने निम्नलिखित का उल्लेख किया:

एच.

160

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 11 एस सी आर।

"3. कि याची वर्तमान में मुख्यालय, डीजीएनसीसी, एमएस (बी), डब्ल्यूबी-IV, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066 के साथ काम कर रहा है।

XXX

XXX

XXX

5. कि 1965 के ऑपरेशन के दौरान उनकी अक्षमता के लिए सेवा से अमान्य होने के कारण, प्रत्यर्थी नं।1 अपने दिनांकित 19.03.1971 पत्र के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचित किया गया नं।3 परिपत्र सं। के अनुसार। डी. एस./रेव. एल. आर.-एस. एस. बी. दिनांक 30.09.1965 की वैध सिफारिश के अनुसार श्री भेरू लाल को गांव रोही-खेड़ा तहसील वल्लभ नगर, जिला-उदयपुर की खसरा संख्या 133,135 और 137 की 25 बीघा गैर-सिंचित कृषि भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी गई है।"

बी.

सी.

9. उच्च न्यायालय ने उन्हें दी गई भूमि पर कब्जा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आदेश पारित किए।उप-मंडल अधिकारी, वल्लभनगर, जिला उदयपुर द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक हलफनामे में कहा गया था कि वैकल्पिक भूमि के आवंटन के लिए रिट याची के अनुरोध पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा 19.08.2015 पर विचार किया गया था, जिसमें कुल 101.15 बीघा, गाँव सागतपुरा में से 25 बीघा मापने वाले सर्वेक्षण संख्या 209 को रिट याची को आवंटित करने की सिफारिश की गई थी।आवंटन पत्र शपथ पत्र के साथ संलग्न किया गया था।

डी.

10. विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि रिट याची को दी गई वैकल्पिक भूमि बहुत दूर/दूर के क्षेत्र में स्थित है और खेती योग्य नहीं है और इसलिए, मूल रूप से रिट याची को आवंटित भूमि का कब्जा देने का निर्देश जारी विद्वान गया था।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः".....स्पष्ट रूप से, समय के प्रवाह के साथ, खसरा संख्या 133,135 और 137 ने राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ निकटता प्राप्त कर ली है और इसके परिणामस्वरूप, इसका मूल्य काफी बढ़ गया होगा।याची को दिनांकित 19.08.2015 के आदेश के अनुसार दी गई वैकल्पिक भूमि बहुत दूरदराज/दूर के क्षेत्र में स्थित है और खेती योग्य नहीं है।इस प्रकार, याची यह दावा करने में पूरी तरह से उचित है कि मूल आवंटन पत्र का सम्मान किया जाना चाहिए और उसे लागू किया जाना चाहिए।आबंटन एक पूर्व सैनिक को किया गया था जो दायर किए गए युद्ध में विकलांग हो गया था और इस प्रकार, सरकारी अधिकारियों की तकनीकी और पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण को किसी भी तरह से उसकी विधवा यानी याची के रास्ते में आने की सराहना या अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब वह अपने पति को आवंटित भूमि के लिए उसके वैध दावे पर विचार कर रही हो।उसी खसरा में भूमि के आवंटन के लिए याचिकाकर्ता के दावे का प्रारंभिक विरोध, जैसा कि सामने रखा गया है

ई.

एफ.

जी.

एच.

161

महादेओ और ओ. आर. एस. बनाम.एसएमटी। सोवन देवी और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]
ए.

उत्तरदाताओं द्वारा यह कहा गया कि यह जलग्रहण क्षेत्र के भीतर आ रहा था।श्री राजेश पंवार के सहयोगी श्री सुनील जोशी, एएजी ने दलीलों के दौरान स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट को संबंधित सरकारी वकील द्वारा गलत समझा गया था, जिन्होंने 19.09.2018 पर न्यायालय में यह अनजाने में स्वीकार किया था।स्पष्ट रूप से, याची की याचिका का विरोध करने के लिए विकृत तथ्यों को प्रस्तुत करने में राज्य के वकील का यह दृष्टिकोण बिल्कुल निंदनीय है।राजस्व अधिकारियों की विभिन्न रिपोर्टों/संचारों को सीधे पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि विषय खसरा की शेष भूमि राजस्व रिकॉर्ड में जलग्रहण क्षेत्र के रूप में आरक्षित नहीं है।यह केवल भू-भाग की प्राकृतिक आकृति के कारण है, जिसके बाद पानी एकत्र हो जाता है और इस प्रकार, खसरा संख्या 133,135 और 137 की शेष 31 बीघा भूमि को एक नदी के रूप में अनौपचारिक विवरण दिया जाता है।हालाँकि, यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि पूरे वर्ष भूमि के हिस्से पर पानी जमा रहता है।यह संचय केवल मानसून अवधि के दौरान दर्ज

किया जाता है।इस समस्या को पानी बाहर निकालकर आसानी से हल किया जा सकता है। अन्यथा भी, चूंकि याची इस बात पर जोर देती है कि वह उसी स्थिति में भूमि के भूखंड को स्वीकार करने के लिए तैयार है, जाहिर है, प्रत्यर्थियों को याची को उसके वैध दावे से वंचित करने का कोई काम नहीं है।

बी.

सी.

डी.

ई.

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याची को अपने दिवंगत पति (एक युद्ध विकलांग पूर्व सैनिक) को आवंटित भूमि पर कब्जा करने से वंचित करने के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है और विवादित खसरा में 31 बीघा खाली भूमि स्वीकार्य रूप से उपलब्ध है, इस न्यायालय का दृढ़ विचार है कि प्रतिवादियों को खसरा विषय से 25 बीघा भूमि का कब्जा याची को उसके वैध अधिकार के अनुसार सौंपने का निर्देश दिया जाना चाहिए।”11. राज्य द्वारा दायर एक अंतर-न्यायालय अपील असफल रही।यह रिकॉर्ड में आया है कि विचाराधीन भूमि रिट याची को आवंटित की गई थी।जिन आबंटियों को रिपोर्ट में उल्लिखित भूमि आवंटित की गई थी, उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है, जब अपीलार्थियों को कथित रूप से 60 वर्षों से अधिक समय से खेती की गई उक्त भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया गया था।12. अपीलार्थियों को पहली बार 27.09.2021 पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बारे में तब पता चला जब उन्होंने दीवानी मुकदमा दायर किया

एफ.

जी.

एच.

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, वल्लभनगर के न्यायालय के समक्ष।चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा रिट याची को भूमि आवंटित करने का आदेश पारित किया गया था, इसलिए अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

13. उच्च न्यायालय ने भूमि पर कब्जा करने का आदेश दिया था, जिसे रिट याची के पक्ष में आवंटन पत्र के साथ कभी आगे नहीं बढ़ाया गया था।उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है।14. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अंतर-विभागीय संचार उचित निर्णय के लिए विचार की प्रक्रिया में हैं और किसी भी अधिकार का दावा करने के लिए आधार के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है।इस न्यायालय ने ओंकार सिन्हा बनाम सहादत खान 3 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में उक्त प्रश्न की जांच की।बचित्तर सिंह बनाम पंजाब राज्य 4 पर यह ठहराने के लिए भरोसा रखा गया था कि केवल फाइल पर कुछ लिखना आदेश के बराबर नहीं है।इससे पहले कि कुछ राज्य सरकार के आदेश के बराबर हो, दो चीजें आवश्यक हैं।पहला, आदेश को अनुच्छेद 166 के खंड (1) द्वारा आवश्यकतानुसार राज्यपाल के नाम से व्यक्त किया जाना है और दूसरा, इसे सूचित किया जाना है।जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, राजस्व सचिव के निर्णय को संशोधित करने का कोई औपचारिक आदेश कभी नहीं दिया गया था।जब तक ऐसा आदेश तैयार नहीं किया जाता, तब तक राज्य सरकार को, हमारी राय में, फाइल में जो कहा गया था, उससे बाध्य नहीं माना जा सकता है।उक्त निर्णय

बी.

सी.

डी.

के**.** एस**.** बी**.** अली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य **5** और डायना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य **5** में इसका अनुसरण किया गया।क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड **6.**बचित्तर में

ई.

सिंह, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है:“8. अब हमें जिस पर विचार करना है, वह फाइल पर पेप्सू के राजस्व मंत्री द्वारा दर्ज किए गए नोट का प्रभाव है।हम इस मामले के उद्देश्य के लिए मान लेंगे कि यह एक आदेश है।फिर भी, सवाल यह है कि क्या इसे राज्य सरकार का आदेश माना जा सकता है जो अकेले, जैसा कि अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किया गया था, राजस्व सचिव के आदेश से अपील को सुनने और निर्णय लेने के लिए सक्षम था।संविधान के अनुच्छेद 166 (1) में कहा गया है कि किसी राज्य की सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम से व्यक्त की जाएगी।अनुच्छेद 166 के खंड (2) में राज्यपाल के नाम पर बनाए गए और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य उपकरणों के प्रमाणीकरण का प्रावधान है। उस अनुच्छेद का खंड (3) सक्षम बनाता है -

एफ.

जी.

3 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 601 4 ए. आई. आर 1963 एस. सी. 395

एच.

163

महादेओ और ओ. आर. एस. बनाम.एसएमटी। सोवन देवी और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]
ए.

राज्यपाल सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक लेन-देन और उक्त कार्य के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएगा।जिसे अपीलार्थी राज्य सरकार का आदेश कहता है, वह राज्यपाल के नाम से व्यक्त नहीं किया गया है।लेकिन उस बिंदु पर हम बाद में चर्चा करेंगे।सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि क्या राजस्व मंत्री का आदेश राज्य सरकार यानी राज्यपाल का आदेश है।इस संबंध में हम पी. ई. पी. एस. यू. सरकार के कार्य नियमों के नियम 25 का उल्लेख कर सकते हैं जो इस प्रकार हैः

बी.

"किसी अन्य नियम द्वारा अन्यथा उपबंधित किए जाने के अलावा, मामलों का निपटान आम तौर पर प्रभारी मंत्री द्वारा या उसके अधिकार के तहत किया जाएगा, जो स्थायी आदेशों के माध्यम से ऐसे निर्देश दे सकता है जो वह विभाग में मामलों के निपटारे के लिए उचित समझता है।ऐसे स्थायी आदेशों की प्रतियां राजप्रमुख और मुख्यमंत्री को भेजी जाएंगी।"

सी.

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार उसकी अपील उस विभाग से संबंधित है जो राजस्व मंत्री का प्रभारी था और इसलिए वह इससे निपट सकता था।उनके अनुसार उनका निर्णय और आदेश राज्य सरकार का निर्णय और आदेश होगा।हालाँकि, राज्य की ओर से निर्भरता को नियम 34 पर रखा गया था, जिसमें आदेश जारी करने से पहले राजप्रमुख और मुख्यमंत्री को कुछ वर्गों के मामलों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।लेकिन तर्क के दौरान यह स्वीकार किया गया कि हमारे सामने इस तरह का मामला उस नियम के अंतर्गत नहीं आता है।इस मुद्दे से संबंधित कोई अन्य प्रावधान हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है, इसलिए हम यह मानेंगे कि राजस्व मंत्री राज्य सरकार की ओर से आदेश दे सकते हैं।

डी.

ई.

एफ.

9. इसलिए सवाल यह है कि क्या उन्होंने वास्तव में ऐसा आदेश दिया था।केवल फाइल पर कुछ लिखना एक आदेश के बराबर नहीं है।इससे पहले कि कुछ राज्य सरकार के आदेश के

बराबर हो, दो चीजें आवश्यक हैं।आदेश को अनुच्छेद 166 के खंड (1) द्वारा आवश्यकतानुसार राज्यपाल के नाम से व्यक्त किया जाना है और फिर इसे सूचित किया जाना है।जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, राजस्व सचिव के निर्णय को संशोधित करने का कोई औपचारिक आदेश कभी नहीं दिया गया था।जब तक ऐसा आदेश तैयार नहीं किया जाता है, तब तक राज्य सरकार, हमारी राय में, फाइल में जो कहा गया था, उससे बाध्य नहीं मानी जा सकती है।जब तक मामला शांत रहता है

जी.

एच.

राजस्व मंत्री फाइल पर अपनी टिप्पणियों या कार्यवृत्त को अच्छी तरह से दर्ज कर सकते हैं और नए लेख लिख सकते हैं।

XXX XXX XXX

11. इसलिए, हमारी राय है कि राजस्व मंत्री, पी. ई. पी. एस. यू. की टिप्पणियों या आदेश से अपीलार्थी को कोई लाभ नहीं है।"

बी.

15. नगरपालिका समिति बनाम जय नारायण एंड कंपनी **7** में यह न्यायालय

यह अभिनिर्धारित किया गया कि फाइल में दर्ज की गई टिप्पणियाँ केवल एक सरल टिप्पणियाँ हैं और इससे अधिक कुछ नहीं।यह केवल विशेष व्यक्ति द्वारा एक राय की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

"16. इस न्यायालय ने उत्तरांचल राज्य बनाम सुनील कुमार वैश, (2011) 8 एस. सी. सी. 670 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में कहा कि फाइल में दर्ज एक टिप्पण केवल एक ध्यान देने योग्य सरल है और इससे अधिक कुछ नहीं है।यह केवल विशेष व्यक्ति द्वारा राय की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।कल्पना के किसी भी विस्तार से, इस तरह के नोटिंग को सरकार का निर्णय नहीं माना जा सकता है।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

सी.

डी.

“24. फाइल में दर्ज एक नोट केवल एक नोट सरल है और इससे ज्यादा कुछ नहीं।यह केवल विशेष व्यक्ति द्वारा राय की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है।कल्पना के किसी भी विस्तार से, इस तरह के नोटिंग को सरकार का निर्णय नहीं माना जा सकता है।भले ही सक्षम प्राधिकारी विचाराधीन मामले के गुण-दोष पर फाइल में अपनी राय दर्ज करता है, लेकिन इसे सरकार का निर्णय नहीं कहा जा सकता है जब तक कि इसे अनुच्छेद 77 (1) और (2) या अनुच्छेद 166 (1) और (2) के अनुसार आदेश जारी करके पवित्र और कार्रवाई नहीं की जाती है। फाइल में टिप्पण या यहां तक कि एक निर्णय भी पक्षों के अधिकार को प्रभावित करने वाले आदेश में तब समाप्त होता है जब इसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम पर व्यक्त किया जाता है, जैसा भी मामला हो, और अनुच्छेद 77 (2) या अनुच्छेद 166 (2) में प्रदान किए गए तरीके से प्रमाणित किया जाता है।फाइल में दर्ज किसी टिप्पण या यहां तक कि किसी निर्णय की हमेशा समीक्षा/उलट/खारिज या पलट किया जा सकता है और न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए पहले की टिप्पण या निर्णय का संज्ञान नहीं ले सकता है।(देखें स्थिति

ई.

एफ.

जी.

पंजाब बनाम सोधी सुखदेव सिंह ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 493,

बचित्तर सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 395, बिहार राज्य बनाम कृपालु शंकर (1987) 3 एस. सी. सी. 34, राजस्थान

7 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 376 ए

एच.

165

महादेओ और ओ. आर. एस. बनाम.एसएमटी। सोवन देवी और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

हाउसिंग बोर्ड बनाम श्री किशन (1993) 2 एस. सी. सी. 84, सेठी ऑटो सर्विस स्टेशन बनाम डी. डी. ए. (2009) 1 एस. सी. सी. 180 और शांति स्पोर्ट्स क्लब बनाम भारतीय संघ (2009) 15 एस. सी. सी. 705)।”

17. इस प्रकार, उपायुक्त द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन की मांग करने वाला पत्र उसके द्वारा दी गई मंजूरी नहीं है, जिसे वादी द्वारा न्यायालय में लागू किया जा सकता है।”

बी.

16. रिट याची के दावे का आधार सैनिक कल्याण विभाग के सचिव द्वारा भूमि के आवंटन के लिए 19.03.1971 पर जिला कलेक्टर, उदयपुर को लिखा गया एक पत्र है।नियमों में विचार

किया गया है कि यदि 6 महीने के भीतर कब्जा नहीं लिया जाता है, तो आवंटन को रद्द कर दिया गया माना जाएगा।सबसे पहले, 19.03.1971 दिनांकित अंतर-विभागीय संचार को आवंटन पत्र नहीं माना जा सकता है।वैकल्पिक रूप से, भले ही इसे आवंटन पत्र माना जाए, रिट याची विकलांग पूर्व सैनिकों को भूमि के आवंटन के लिए लागू नियमों के संदर्भ में 30 साल से अधिक समय के बाद इस तरह के संचार के आधार पर कब्जे का दावा नहीं कर सकता है।

सी.

डी.

17. विकलांग पूर्व सैनिक ने अपने जीवनकाल के दौरान तथाकथित आवंटन पत्र के बाद लगभग 27 वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं की थी।ऐसा प्रतीत होता है कि रिट याची को एन. सी. सी. के महानिदेशक के कार्यालय में नियुक्त किया गया था और उसके बाद, उसके द्वारा कब्जे की प्रक्रिया शुरू की गई थी।इसके अलावा, न्यायालय द्वारा समय-समय पर न्यायालय में राज्य के अधिकारियों को बुलाए जाने वाले अंतरिम आदेशों के बल पर रिट याची को वैकल्पिक भूमि आवंटित की गई थी।कार्यवाही उच्च न्यायालय द्वारा ली गई एक अतिरिक्त रुचि को दर्शाती है, न कि केवल भूमि के आवंटन के संबंध में, बल्कि उस भूमि के संबंध में भी जो कभी आवंटित की गई थी और अब राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब है।जिस तरह से उच्च न्यायालय द्वारा विकलांग पूर्व सैनिक की मदद की आड़ में मामले से निपटा गया है, वह पूरी तरह से अनुचित है।

ई.

एफ.

18. इसलिए, हम पाते हैं कि रिट याची द्वारा दायर रिट याचिका पूरी तरह से गलत है, संपार्श्विक उद्देश्यों के साथ शरारतपूर्ण है और अधिकारियों/अधिकारियों का संरक्षण हो सकता है।

जी.

19. नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना अपास्त करना दिया जाता है।

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

एच.